न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 3/2021 (डूंगरपुर आर्डर)

1. श्रीमती विमला पत्नी राजेन्द्र प्रसाद पुरोहित, निवासी खडगदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. हितेष पिता राजेन्द्र प्रसाद पुरोहित, निवासी खडगदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. हार्दिक पिता राजेन्द्र प्रसाद पुरोहित, निवासी खडगदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. मार्मिक पिता राजेन्द्र प्रसाद पुरोहित, निवासी खडगदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. रेवाशंकर पिता खेमजी जोशी, निवासी खडगदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम– 1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा
दिनांक 21.10.2021 प्रकरण सं. 7/21

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री लालसिंह चुण्डावत अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री दिनेश चन्द्र चौबीसा अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3– राजकीय पैरोकार अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2 व 3

———::———

निर्णय **दिनांक 13–09–2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए सपठित धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खडगदा में प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 1623 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नंबर 1624 रकबा 19 बिस्वा, आराजी नंबर 1625 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा एवं आराजी नंबर 1626 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है। आराजी नंबर 1624 में प्रार्थी का मकान बना हुआ है जिस पर जाने का एक मात्र रास्ता आराजी नं. 1622 रकबा 16 बिस्वा एवं

Signature Not Verified
Digitally Signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:48 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नंबर 1701 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा विपक्षी संख्या 1 से 4 के खातेदारी की भूमि में से है। आराजी नंबर 1622 व 1701 पूर्व में शंकरलाल पिता करूणा शंकर भट्ट के खातेदारी में थी, जिनके द्वारा राजेन्द्र प्रसाद पिता गेफरलाल पुरोहित को दिनांक 13–11–1998 को भूमि विक्रय की गयी, जिसका पंजियन दिनांक 16–11–1998 को हुआ। राजेन्द्र प्रसाद की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिस विपक्षी संख्या 1 से 4 हैं। प्रार्थी कृषि कार्य हेतु आराजी नंबर 1622 व 1701 से अपने हल, बैलगाड़ी व टैक्टर आदि लाते ले जाते हैं तथा इसी आराजी से अपने मकान में आते जाते हैं। अतः आराजी नंबर 1622 व 1701 में से 30 फिट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को दिलाया जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकित किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 से 4 ने जवाब प्रस्तुत कर बताया कि प्रार्थी व अन्य खातेदार पीढ़ियों से आराजी नंबर 1762 से आते जाते हैं, जिससे लगता हुआ प्रार्थी के खाते का आराजी नंबर 5919/1762 स्थित है, जिसका उल्लेख प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 21–10–2021 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर विपक्षी की आराजी नंबर 1622 से 15 फिट रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश चौबीसा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में रास्ते बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें तहसीलदार को भी पक्षकार बनाया है, जबकि रास्ते बाबत् प्रकरण में तहसीलदार को पक्षकार नहीं बनाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:48 IST
Reason: SelfAttested

जा सकता है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गयी, जबकि वह स्वयं प्रकरण में पक्षकार हैं, लेकिन इस ओर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है। पटवारी हल्का ने मौका रिपोर्ट दिनांक 22–04–2021 में दोनों पक्षों की उपस्थित दर्शा रखी है, जबकि मौके पर दोनों पक्षकार उपस्थित नहीं थे। मौका पर्चा पटवारी द्वारा पटवार खाने में तैयार किया गया है, मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में मौका रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2016-17 (Supp.) Page 597, RRT 2014 (1) Page 40 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट सन् 1955 से बेरोकटोक आराजी नंबर 1622 व 1701 से अपने खेतों व मकान पर आता जाता है। पूर्व में चले प्रकरणों में स्वयं अपीलान्ट के पूर्व विक्रेता एवं अपीलान्ट के पिता राजेन्द्र प्रसाद ने रेस्पोन्डेन्ट के मकान व खेतों पर आने जाने का रास्ता आराजी नंबर 1622 में होना अपना बयानों में स्वीकार किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध मौका रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, जिसकी पालना में राजस्व अभिलेखों में रास्ते का अंकन कर दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय का रास्ते बाबत् निर्णय विधि विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार का पत्र जो उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा को प्रेषित किया गया है, उसकी कलम संख्या 5 में अंकित किया है कि वादी का मकान खसरा नंबर 1623 में बना होकर आराजी नंबर 1762 व 1622 से होकर रास्ता मौके पर बना हुआ है। बयानों के परीक्षण में स्वतंत्र गवांह शंकरलाल ने आराजी नंबर 1622 व 1701 से रेवाशंकर जी के आने–जाने का रास्ता बताया है। अधिनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी आराजी नंबर 1623 पर प्रार्थी का मकान बना होना तथा आराजी नंबर 1762 व 1622 से होकर मौके पर रास्ता बना होना अंकित है। अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:48 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आराजी नंबर 1622 में से हल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर लाने ले जाने हेतु 15 फिट चौड़ा रास्ता कीमतन दिये जाने का आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीर अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रस्तुत की है, उसमें वर्णित तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से लागू नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21–10–2021 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:48 IST
Reason: SelfAttested